न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वादपत्र संख्या 02/2014

श्री कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र बलदेव जी माली आयु 55 साल जाति माली निवासी ग्राम नगर तहसील मसूदा हाल निवासी ए–112 आजाद नगर भीलवाडा राज0

————————वादी

ब ना म

1– श्री छीतरमल पुत्र श्री बलदेव जी माली जाति माली आयु वयस्क निवासी मील की चालिया पुलिस लाईन के पास, भीलवाडा राज0

2– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील परिसर मसूदा

3– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील परिसर बिजयनगर

4– श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, बिजयनगर राज0

5– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्तः वादी ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि वादी की पुश्तैनी आराजियात मौजा नगर पटवारी क्षैत्र शिखरानी द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बिजयनगर तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 237 रकबा 0.7001, 446 रकबा 0.1214, 447 रकबा 0.4047 कुल रकबा हैक्टयर 1.2262 स्थित है, जिसके साबिक खसरा नंबर 302, 109, 342 है। उक्त वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता बलदेव जी पुश्तैनी आराजी थी एंव बलदेव जी अपने जीवनकाल में उक्त आराजियात के मालिक व खातेदार थे एंव उक्त आराजीयात का अपने उपयोग उपभोग में ले रहे थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नि श्रीमति मांगी, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात पर काबिज हुये एंव श्रीमति मांगी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजीयात के मालिक व खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हुये। बलदेव व मांगी के फोत हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन होनी चाहिये किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारीयो से मिलाभगती कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात को अपने अकेले के नाम करवा लिया जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक हक व अधिकार नही था। ना ही किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश ही था इसके बावजूद भी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उपरोक्त आराजीयात में खातेदारी अंकन वर्किंग जमाबंदी में की है। वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण यही मानता रहा कि उपरोक्त आराजीयात वादी के पिता के नाम है, एंव उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर आज दिनांक तक बिना रोकटोक के काश्त करता चला आ रहा है, इसलिये उपरोक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम नही होने की कोई जानकारी नही हो पाई। वादी को जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तब प्रतिवादी संख्या 1 ने आश्वासन दिया कि मै, जल्दी ही तुम्हारा भी नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करवा दूंगा। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में भाई है इसलिये वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की बातो पर विश्वास एंव भरोसा कर लिया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.7.2013 एंव 19.7.2013 को निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के नाम उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात को अंकन करवाने से साफ इन्कार कर दिया। और धमकी दी, कि

उपरोक्त आराजीयात को अन्यत्र बेचान करके रहूंगा इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर वादग्रस्त भूमियो का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश पारीत किया जावे तथा

.....लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है उसे दुरूस्ती किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमियो से वादी को बेदखल नही करे तथा रहन, बय बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वाद में कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 18.1.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर कथन किया है, कि वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी है, तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है, इसलिये राजस्व रेकार्ड में दोनो भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे किया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। अतः निवेदन है, कि राजीनामा रेकार्ड पर लिया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण में दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसको पत्रावली में शामिल किया जाकर साक्ष्य वादी तलब कि गई जिसमें वादी शपथ पत्र पेश कर अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया। व गवाह शंकरलाल ने भी वादी के बयानो का ताईद किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रकरण में यह पाया गया है, कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है, तथा तहसीलदार बिजयनगर द्वारा भी रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भी वादग्रस्त भूमियां संवत 2018 से 2021 में दाखिल खारीज संख्या 39 में बलदेव पिसरान जयराम की विरासत छीतर व काना पिसरान बलदेव से नामान्तकरण दर्ज हुआ। तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है, कि बलदेव माली के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 होने का कथन किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय ने वादी के वाद को डिक्री किये जाने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व राजीनामा के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर मौजा नगर पटवारी क्षैत्र शिखरानी द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बिजयनगर तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 237 रकबा 0.7001, 446 रकबा 0.1214, 447 रकबा 0.4047 कुल रकबा हैक्टयर 1.2262 में जो प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है, उसे निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: